"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 198] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 16 मई 2017 —— वैशाख 26, शक 1939

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 15 मई 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-3/2017/एक (1). —— भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 के खण्ड (2) एवं (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ शासन कार्य (आबंटन) नियम में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में, -

1. शीर्षक "पांच-वाणिज्यिक कर विभाग" के अंतर्गत, -

(क) भाग (अ) में, सरल क्रमांक 22. के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-
"23. सभी प्रकार की सेवाओं एवं वस्तुओं के प्रदाय पर करारोपण."

(ख) भाग (आ) में, सरल क्रमांक 14 के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-
"15. छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्र. 12 सन् 2017), एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्र. 13 सन् 2017)."

2. शीर्षक "छप्पन-इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग" के अंतर्गत, भाग (अ) में, सरल क्रमांक 20 के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"21. विशिष्ट पहचान परियोजना (आधार)."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निधि छिब्बर, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 15 मई 2017

क्रमांक एफ 1-3/2017/एक (1).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-3/2017/एक (1), दिनांक 15 मई 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निधि छिब्बर, सचिव.

Naya Raipur, the 15th May 2017

NOTIFICATION

No. F 1-3/2017/One (1). — In exercise of the powers conferred by clause (2) and (3) of Article 166 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Government Business (Allocation) Rules, namely :-

AMENDMENT

In the Schedule of the said rules,-

1. Under heading "V-Commercial Tax Department",-

   (a) in Part (A), after serial number 22, the following shall be added, namely :-

   "23. Taxation on supply of all types of services and goods."

   (b) in Part (B) after serial number 14, the following shall be added, namely :-

   "15. Chhattisgarh Goods and Service Tax Act, 2017, Central Goods and Services Tax Act, 2017 (No. 12 of 2017) Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (No. 13 of 2017)."

2. Under heading "LVI-Electronics and Information Technology Department", in Part (A), after serial number 20, the following shall be added, namely :-

   "21. Unique identification project (Aadhar)."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
NIDHI CHHIBBER, Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.